

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, **क्रीम**
 सेवा पूर्व पलावाडा के अन्तर्गत
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प "ग्रामीण विकास-2025"

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **लावाडा** व भू.अ.नि. **काठपली**
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **क्रीम** / नारायण तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम **लावाडा** तहसील **क्रीम** जिला **राजसमन्द**
 की जमाबन्दी सन्वत् **2076-79** में खाता संख्या **233** में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	नावरी	233	हीराराम पुत्र कैसा. हिस्ता-1/4 जाति-बलाई सा. देह खातेदार	हीरालाल पुत्र कैसुराम हिस्ता- 1/4 जाति-बलाई सा. देह खातेदार

(*Signature*)
उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :- 125/281

दिनांक :- 4/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार **क्रीम** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री **हीरालाल पुत्र कैसुराम** को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(*Signature*)
उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द